सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

निर्णय

06/12/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 92क व 209 तहत प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। वकील प्रार्थी का कथन है कि मौजा उदय नगर पटवार क्षैत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2420/381 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है, जिसमे प्रार्थी का कब्जा है तथा चारों तरफ बाउण्डरी की गई है। चूंकि प्रतिवादी, वादी के सेढा पड़ौसी होने से प्रतिवादी, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थी उपवर्णित भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न ही किसी अन्य से करावे। मौके व रेकर्ड की वाद के निर्णय तक यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नही है क्योकि प्रार्थी का खातेदारी का खसरा संख्या 2419/381 के पास अप्रार्थी का खसरा संख्या 2374/381, 2375/381 नही आया हुआ है। प्रार्थी और अप्रार्थी के खेतों के बीच अन्य 02 खसरे आये हुए है तथा अप्रार्थी की खातेदारी के ... में

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:18:20 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख जो इस तामील हुए
	राजस्व आवेदन संख्या 188/2022 अनवान देवानंद बनाम लूणीदेवी के कायम मुकाम मनोज कुमार	

अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी को बेदखल करने की कोशिश नही की तथा न ही प्रार्थी डरपोक, सीधा व कमजोर है। प्रार्थी द्वारा केवल मनगंढत तथ्यों से अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है। लिहाजा प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अप्रार्थी के विरूद्ध तीन अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिसका निर्णय बाद मेरट पर किया जा सकेगा जो समान अनुतोष के है तथा प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2419/381 रकबा 0.1619 हैक्टयर व अप्रार्थी के खसरा संख्या 2374/381, 2375/381 भूमि में उभय पक्ष दखलन्दाजी नही करे। मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:18:20 IST
Reason: SelfAttested